



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15012024-251356
CG-DL-E-15012024-251356

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 34]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 15, 2024/पौष 25, 1945

No. 34]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 15, 2024/PAUSHA 25, 1945

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2024

संख्या 01/2024-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 39(अ).—जबकि, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि कुछ वस्तुओं पर निर्यात शुल्क लगाया जाना चाहिए और ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जो तत्काल कार्रवाई करने को आवश्यक बनाती हैं।

इसलिए, अब, केंद्र सरकार, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (इसके बाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 8 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निर्देश देती है कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची को निम्नलिखित तरीके से संशोधित किया जाएगा, अर्थात्: -

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची में, क्रमांक सं. 9क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रमांक. संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"9ख	1703	चीनी के निष्कर्षण या शोधन से उत्पन्न मोलासेस	50%";

2. यह अधिसूचना 18 जनवरी, 2024, से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/9/2024-टीओ(टीआरयू-1)]

अम्रीता टाइटस, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th January, 2024

No. 01/2024-Customs

G.S.R. 39(E).—Whereas, the Central Government is satisfied that export duty should be levied on certain articles and that circumstances exist which render it necessary to take immediate action.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), the Central Government, hereby directs that the Second Schedule to the Customs Tariff Act shall be amended in the following manner, namely: -

In the Second Schedule to the Customs Tariff Act, after S. No. 9A and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entries relating thereto shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"9B.	1703	Molasses resulting from the extraction or refining of sugar	50%";

2. This notification shall come into force on the 18th of January, 2024.

[F. No. CBIC-190354/9/2024-TO(TRU-I)]

AMREETA TITUS, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2024

संख्या 02/2024- सीमा शुल्क

सा.का.नि. 40(अ).—वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 124 के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं को उक्त सारणी के कॉलम (3) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमा तक संशोधन करती है, यथा: -

सारणी

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या तथा तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	48/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 13 अक्टूबर, 2021, सा.का.नि. 733 (अ), दिनांक 13 अक्टूबर, 2021, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित	उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 में, अंक "2024" के स्थान पर "2025" अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे;

2.	49/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 13 अक्टूबर, 2021, सा.का.नि. 734 (अ), दिनांक 13 अक्टूबर, 2021, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित	उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 में, शब्द, अंक, और अक्षर "बशर्ते कि इस अधिसूचना में निहित कुछ भी अप्रैल 2024 के पहले दिन या उसके बाद, उपरोक्त सरणी के क्रम संख्या 1, 2 और 3 के खिलाफ निर्दिष्ट माल पर लागू नहीं होगा।" को लोप किया जाएगा।
----	---	--

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/9/2024-टीओ(टीआरयू-1)]

अमीता टाइटस, उप सचिव

नोट:-

1. प्रधान अधिसूचना संख्या 48/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 13 अक्टूबर, 2021, को सा.का.नि. 733(अ), 13 अक्टूबर, 2021, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या 39/2023-सीमा शुल्क, दिनांक 14 जून, 2023, सा.का.नि. 439(अ), दिनांक 14 जून, 2023, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित, के द्वारा किया गया है।
2. प्रधान अधिसूचना संख्या 49/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 13 अक्टूबर, 2021, को सा.का.नि. 734(अ), 13 अक्टूबर, 2021, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या 65/2023-सीमा शुल्क, दिनांक 21 दिसंबर, 2023, सा.का.नि. 904(अ), दिनांक 21 दिसंबर, 2023, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित, के द्वारा किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th January, 2024

No. 02/2024-Customs

G.S.R. 40(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) read with section 124 of the Finance Act, 2021 (13 of 2021), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby amends the following notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), specified in column (2) of the Table below, to the extent specified in the corresponding entries in column (3) of the said Table, namely:-

TABLE

S. No.	Notification No. and Date	Amendments
(1)	(2)	(3)
1.	48/2021-Customs, dated the 13 th October, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), <i>vide</i> number G.S.R. 733(E), dated the 13 th October, 2021	In the said notification, in paragraph 2, for the figures "2024", the figures "2025" shall be substituted;
2.	49/2021-Customs, dated the 13 th October, 2021, published in the Gazette of India,	In the said notification, in paragraph 2, the words, figures, and letters "Provided that nothing contained in

	Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), <i>vide</i> number G.S.R. 734(E), dated the 13 th October, 2021	this notification shall apply to the goods specified against serial numbers 1, 2 and 3 of the Table above on or after the 1st day of April, 2024.” shall be omitted.
--	--	--

[F. No. CBIC-190354/9/2024-TO(TRU-I)]

AMREETA TITUS, Dy. Secy.

Note:

1. The principal notification No. 48/2021-Customs, dated the 13th October, 2021, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 733(E), dated the 13th October, 2021, and was last amended *vide* notification No. 39/2023-Customs, dated the 14th June, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 439(E), dated the 14th June, 2023.
2. The principal notification No. 49/2021-Customs, dated the 13th October, 2021, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 734(E), dated the 13th October, 2021, and was last amended *vide* notification No. 65/2023-Customs, dated the 21st December, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i), *vide* number G.S.R. 904(E), dated the 21st December, 2023.